समयवद्धता, जवाबदेई और पारदर्शिता राइट टू सर्विस एक्ट का मुख्य उदेश्य-मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता

-हरेन्द्र गुलाटी-चमनपत्रिका

अम्बाला 07 सितंबर - हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने कहा कि अंतोदय सरल पोर्टल पर अधिसूचित सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से एवं पारदर्शिता के साथ-साथ पब्लिक की संतुष्टि के साथ उपलब्ध करवाना आयोग का मुख्य उद्देश्य है। जुर्माना लगाना आयोग का उद्देश्य नहीं है बल्कि सुगमता से लोगों को सरकार की सेवाओं का लाभ मिले इसके लिए कार्य करना है। टी.सी. गुप्ता आज एस.डी. कालेज अम्बाला छावनी में हरियाणा सेवा का अधिकार बैठक (एक दिवसीय कार्यशाला में) बतौर मुख्य अतिथि अपने सम्बोधन में बोल रहे थे। मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने इस मौके पर बताया कि वर्ष 2014 में आयोग की स्थापना की गई थी और उन्होंने सेवानिवृति के बाद तीन महीने पहले ही आयोग में बतौर मुख्य आयुक्त के तौर पर कमान संभाली है। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं के साथ-साथ अधिकारों के बारे में लोगों में सतर्कता एवं जागरूकता आए इसके दृष्टिगत उन्हें अवगत करवाकर लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाओं का लाभ मिले इसके लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा कि अंतोदय सरल पोर्टल पर सरकारी सेवाओं से सम्बन्धित 546 अधिसूचित सेवाएं है जिनमें से 277 सेवाएं अंतोदय सरल पोर्टल पर ऑनलाईन उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ ले सकता है। सरकारी सेवाओं का जहां हमें समय रहते सम्बन्धित प्रार्थी को लाभ दिलवाना है वहीं इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि रिजैक्शन स्कोर में बढ़ौतरी न हो। जिन सेवाओं का लाभ लोगों को उपलब्ध करवाया गया है उसमें पब्लिक संतुष्टि स्कोर कितना है इस बात पर भी फोकस करना है। उपस्थित लोगों एवं अधिकारियों से संवाद करते हुए उन्होंने बताया कि लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ और सुगमता से मिले इसके दृष्टिगत एक सितम्बर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चण्डीगढ़ से आम यानि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर को लॉंच करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रार्थी द्वारा यदि अंतोदय सरल पोर्टल पर अधिसूचित सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ लेने में कोई समस्या आती है तो ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से उसकी अपील दायर हो जायेगी। निर्धारित मापदंडों एवं नियमो की पालना सुनिश्चित करते हुए उसकी शिकायत का निवारण होगा। प्रक्रिया के अंतर्गत प्रथम चरण में शिकायत सम्बंधित अपील पर फर्स्ट ग्रिवेंसिस ऑथोरिटी अपना कार्य करेगी, जिसके लिए समय सीमा तय होगी और उसके बाद अगले चरण के तहत ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि वे कई विभागों में काम कर चुके है और काम करने की शैली को भली-भांति जानते है। जिनकी रिजैक्शन अधिक है उनके स्वयं मूल्यांकन करने की जरूरत है। लापरवाह अधिकारी सरकार की छवि को खराब करते हैं, उन्हें सही तरीके से काम करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि काम करने की बाद आत्म संतोष की अनुभूति तो होती ही है साथ ही जिनका काम होता है वे भी किए गये कार्यों की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने जिला के अधिकतर विभागों के अधिकारियों के साथ अधिसूचित सेवाओं को जनता तक पहुंचाने के दृष्टिगत खुलकर संवाद किया और कईयो की कार्यशैली को देखकर खिंचाई भी की। ऐसे अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई जिनका काम अच्छा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि जिला के उच्च अधिकारियों का काम केवल फाईले देखना ही नहीं बल्कि लापरवाह अधिकारियों को कार्यशैली को सुधारने की ओर भी ध्यान देना है। उन्होंने यह भी कहा कि कमीशन सात साल से चल रहा है, अब आठवां साल चल रहा है लेकिन सात साल में केवल सात ही अपील आई है। लोगों को और अधिक जागरूक होने की जरूरत है। मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने इस मौके पर यह भी बताया कि यदि आयोग द्वारा किसी अधिकारी एवं कर्मचारी पर सम्बन्धित शिकायत के निवारण में देरी करने में तीन बार जुर्माना लगाया जाता है तो आयोग उस अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई करने के दृष्टिगत उसे सेवामुक्त करने की सिफारिश भी कर सकता है। टी.सी. गुप्ता ने बैठक में यह भी कहा कि अधिकारियों को लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक करने का काम करना है वहीं उन्हें यदि किसी सेवा का लाभ लेने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत है उस बारे उन्हें सम्पूर्ण जानकारी भी देनी है। यदि कोई व्यक्ति सेवा का लाभ लेने के लिए अपात्र है तो उसे उसी समय बताना सुनिश्चित करें। बेवजह उसका आवेदन न भरवाएं। ऐसा होने से सम्बन्धित विभाग का रिजैक्शन स्कोर बढ़ता है और सम्बन्धित प्रार्थी भी बेवजह परेशान होता है। टी.सी. गुप्ता ने यह भी बताया कि अंतोदय सरल पोर्टल पर जितनी भी सेवाएं अधिसूचित है वह व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है। अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित करना है कि यह सभी सुविधाएं सुगमता से प्रार्थी को मिले ताकि लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़े। उन्होंने उपायुक्त विक्रम सिंह के नेतृत्व में जिला अम्बाला में विभिन्न विभागों द्वारा लोगों को सेवाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत 9.5 रैंकिंग मिलने पर किए गये कार्यों की सराहना की। एक दिवसीय कार्यशाला के तहत कष्ट निवारण समिति के सदस्यों ने अपने सुझाव भी दिए। टी.सी. गुप्ता ने सभी सुझावों को सुना और कहा कि जो सुझाव दिए गये है उन पर अमल करने का काम किया जायेगा। संवाद और समीक्षा के दौरान उन्होंने यह भी बताया कि मत्स्य पालन में प्रति हैक्टेयर उत्पादन के दृष्टिगत हरियाणा का देश में प्रथम स्थान है। यह सब सम्बन्धित अधिकारियों के साथ-साथ सरकार के नीतिगत फैसलों का ही परिणाम है। संवाद और समीक्षा बैठक में आम जनता ने भी अपने सुझाव दिए, साथ ही अधिसूचित सेवाओं की जानकारी को लेकर आयुक्त सेवा का अधिकार के कार्य की प्रशंसा भी की। मनोज गोयल, रामचंद, दीपक आनंद, देशबंधु मेहता, केहर सिंह राणा, हरमेश पाल, साहब सिंह, अवतार सिंह तथा रामबाबु ने भी अपने सुझाव दिए। यहां पहुंचने पर जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त विक्रम सिंह ने स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर आयोग की सचिव मीनाक्षी राज भी उपस्थित रही। इस मौके पर आयोग की सचिव मीनाक्षी राज, उपायुक्त विक्रम सिंह, एसएसपी हामिद अख्तर, एडीसी सचिन गुप्ता, एसडीएम हितेष मीणा, एसडीएम नीरज कुमार, एसडीएम गिरीश चावला, नगराधीश आंचल भास्कर, आरटीए गौरी मिड्ढ़ा, जीएम रोडवेज मुनीष सहगल, डीटीपी सविता जिंदल, डीआईपीआरओ धर्मवीर सिंह, डीएसई राम कुमार, डीडीपीओ एन् जैन के साथ-साथ विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।